संख्या-47/2026/I/1379544/2026/11-4099/4/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद-शामली में राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु **अवशेष/अन्तिम किश्त** की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स0नि0-शामली-कार्यालय भवन निर्माण/2026-27/150/राज्य कर, दिनांक 02.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-शामली में राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-89 के पूंजी लेखाशीर्षक 4059-01-051-32-सहायता केंद्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की अन्तिम किश्त/अवशेष रु0 280.38 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-124/11-4-2025/1886201 दिनांक 29.03.2025 द्वारा जनपद-शामली में राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रु0 953.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 150.00 लाख, शासनादेश संख्या-434/11-04-2025/1886201 दिनांक 08.09.2025 द्वारा परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु0 150.00 लाख, शासनादेश संख्या-10/2026/I/1253520/2026/11-4099/4/2025 दिनांक 27.02.2026 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख, शासनादेश संख्या-28/2026/I/1281777/2026/11-4099/4/2025, दिनांक 27.03.2026 द्वारा परियोजना हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में रु0 173.00 लाख, अर्थात कुल रु0 673.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। इस प्रकार परियोजना हेतु रु0 280.38 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद-शामली में राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य** हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 953.38 लाख

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-01-051-32-सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना हेतु **अवशेष/अन्तिम किश्त** के रूप में **रू0 280.38 लाख (रूपये दो करोड़ अस्सी लाख अड़तीस हजार मात्र)** की वितीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य की गुणवत्ता, कम्पलीशन, मानक एंव विशिष्टियों से अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. शासन द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 में उल्लिखित कार्यों/मदों/विशिष्टियों के अनुरूप निर्माण कार्य की गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही प्रश्नगत परियोजना/कार्यालय भवन के हैण्डओवर की कार्यवाही पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर/कार्यदायी संस्था की होगी।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को अनावश्यक रूप से डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
7. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-124/11-4-2025/1886201 दिनांक 29.03.2025 तथा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,80,38,000 (रुपये दो करोड़ अस्सी लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 4059010513200 सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सहारनपुर/शामली।
8. मुख्य अभियंता, निर्माण खंड (भवन विंग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।